UPUN010001192024

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव</u>
पीठासीन अधिकारी का नाम–प्रतिमा श्रीवास्तव, एच0जे0एस0,
आई0डी0 नं0–यूपी 1899

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0– 50 / 2024

शिव शंकर विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय दीन दयाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम मानपुर, थाना बीघापुर, जिला उन्नाव।

————————अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ————————अभियोगी।

अपराध सं0– 179 / 2023
धारा–419,420,467,468,471,120बी
भा0दं0सं0,
थाना–बिहार, जनपद उन्नाव।

<u>16.01.2024</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त शिव शंकर विश्वकर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–179 / 2023, अर्न्तगत धारा–419,420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0, थाना–बिहार, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा प्रेमलता की ओर से एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 30.08.2023 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, उसने दिनांक 11.07.2023 को भूमि / गाटा नंबर 445,446,456,457,458 स्थित भूमि ग्राम मानपुर परगना मगरायर तहसील बीघापुर जिला उन्नाव सह खाताधारक शिवशंकर का नाम खतौनी में सह खातेदार के रूप में दर्ज था। जिसका बैनामा उसने गवाह नन्हेलाल पासी के कहने पर 5,48000 / – रूपये में क्रय कर लिया। बैनामें के कुछ दिन बाद तहसील में स्टाम्प वेंडर अंगनू प्रसाद के समीप बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि आपने जो बैनामा कराया है, उसमें शिव शंकर मे उसका नाम है, तथा उसकी जमीन है। आपने किस व्यक्ति से बैनामा करवाया है, वह व्यक्ति फर्जी होगा। उसके गांव जाकर उसके भाइयो व अन्य व्यक्तियो से जानकारी कर सकती हो। उसको जब यह मालूम हुआ तो उसने व उसके पति ने मानपुर जाकर के पता लगाया तब पता चला कि बैनामाकर्ता उसी नाम से कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर के बैनामा कर दिया है। उसने गवाह व दलाल नन्हे को बुलाकर जब पूछा तब उसने बताया कि बैनामाकर्ता कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है। वह बैनामाकर्ता को नही पहचानती है। उसको गवाह नन्हेलाल पासी, रविशंकर लोध एलआईसी एजेन्ट, शैलेन्द्र लोधी, अनुप पाण्डे, सत्यप्रकाश, शिव शंकर विश्वकर्मा आदि लोगो द्वारा धोखा देकर किसी फर्जी शिवशंकर के व्यक्ति से उसे भूमि क्रय करा दिया है।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि, उसको

थाना पुलिस द्वारा पूंछतांछ के लिए बुलाया गया और वादिनी मुकदमा के साथ षडयंत्र के तहत मुकदमा उपरोक्त में उसको झूठा आरोपित कर दिया। अभियोजन पक्ष की कहानी सरासर झूठी व बनावटी है और उसको षडयंत्र के तहत लाऔलाद होने व वारिसान न होने से उसके हक की पैतृक सम्पत्ति को कब्जाने हेतु झूठा फंसाया गया है। उक्त रजिस्ट्री की उसको कोई जानकारी नही थी। उक्त फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर प्रेमलता व उसके सगे भाई सत्य प्रकाश व सत्य प्रकाश का मित्र शैलेन्द्र कुमार वर्मा व रजिस्ट्री उपरोक्त के गवाहान नन्हेलाल ने एक राय होकर उसके उक्त भूमि के नंबरान पर जुताई करवाने की साजिश रच अन्य चेक के साथ चक नं0 80 पर कब्जा करने को आये। वह अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिए थाने पर जाकर बार बार पैरवी किए जाने पर भी मुकदमा दर्ज न होने के कारण उसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में 156(3) दं0प्र0सं0 के तहत वादिनी मुकदमा, भाई सत्य प्रकाश, शैलेन्द्र कुमार वर्मा दोनो गवाह नन्हे लाल व रोहित के विरूद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उसके विरूद्ध उल्टा ही मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी गयी। वादिनी मुकदमा व अन्य के द्वारा षडयंत्र के तहत यह मुकदमा योजित किया गया है उस पर दबाव बनाकर उसकी पैतृक सम्पत्ति को षडयंत्र के तहत गबन किया जाये जो कि स्वंय में एक अपराध है और जिस हेतु मिली भगत के तहत उसकी कोई सुनवाई आज तक सम्भव नही हो पायी उल्टा उसको उसके द्वारा अग्रिम पैरवी न कर सकने हेतु षडयंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.12.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त के जमानत मिलने पर गवाहान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से इंकार नही किया जा सकता है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 30.08.2022 को दर्ज कराई गयी थी। वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि, उसके खास परिचित सत्यप्रकाश ने बताया कि उसके भाई शिवशंकर विश्वकर्मा अपनी जमीन बेच रहे है। यह जमीन मानपुर परगना मगरायर तहसील बीघापुर गाटा सं0 445,446,456,457,458 में स्थित है। इस जमीन की खतौनी मे शिवशंकर विश्वकर्मा सह खातेदार के रूप में दर्ज है। तब उसके पति बुद्धीलाल तथा भाई उमा शंकर तथा भतीजे रोहित ने जमीन खरीदने के लिए हां कर दी थी। दो तीन दिन के बाद नन्हेलाल के साथ सत्य प्रकाश व रवि शंकर लोधी एलआईसी बीमा एजेन्ट, शैलेन्द्र लोधी, अनूप पाण्डेय आये थे जिन्होने कहा था कि सभी लोग चलकर शिवशंकर विश्वकर्मा से बात कर ले दूसरे दिन नन्हे लाल पासी व सत्यप्रकाश ने उन लोगो को बताया कि आप लोग आ जाइए। जमीन की कीमत के विषय मे बात करने वादिनी व उसका पति बुद्धीलाल, भाई उमाशंकर व भतीजा रोहित तहसील बीघापुर पहुॅचे जहां एक आदमी बैठा था। नन्हे लाल ने बताया कि यह सत्य प्रकाश के भाई शिवशंकर विश्वकर्मा के भाई है। जमीन की बात होने लगी और उपरोक्त गाटाओ शिवशंकर विश्वकर्मा के हिस्से की जमीन 5,84,000/– में तय हो गयी जिसमें 3,84,000/– रूपये नगद के रूप में व दो लाख की चेक उसके बेटे राहुल ने अपने खाते से शिवशंकर विश्वकर्मा को दिनांक 11.07.2023 को चेक से दी। शिवशंकर विश्वकर्मा द्वारा उसके नाम उक्त भूमि का बैनामा विक्रीत अथवा 0.1965हे0 दिनांक 11.07.2023 को कर दिया गया था। बैनामा की गयी उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज कराने वे लोग तहसील बीघापुर गये जहां स्टाम्प वेंडर

अगनू प्रसाद के पास बैठे एक व्यक्ति ने बताया आपने जो बैनामा कराया है वह फर्जी आदमी है। फर्जी आदमी को शिवशंकर विश्वकर्मा बनाकर खड़ा करके उसके जमीन का बैनामा करा दिया गया है। जिसमें उसके भाई सत्यप्रकाश की अहम भूमिका है। जिस व्यक्ति ने बैनामा किया था उसकी पहचान नन्हे लाल ने शिव शंकर विश्वकर्मा के रूप में की थी। जब उसको पता चला कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है तब उसके पति बुद्धी लाल भाई उमा शंकर नन्हे लाल पासी से मिले तो नन्हे लाल पासी ने कहा कि वह नही समझ पाया और सत्य प्रकाश व उसकी टीम ने उसके साथ धोखाधड़ी करके फर्जी शिवशंकर विश्वकर्मा को खड़ा करके उक्त जमीन बेच दी है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त नामित अभियुक्त है। केति पक्ष द्वारा अभियुक्त के खाते में 2 लाख की चेक दी गई थी अभियुक्त शिव शंकर विश्वकर्मा के भाई सत्य प्रकाश भी शामिल है। सत्यप्रकाश की सांठ गांठ से ही अपने भाई को राजीकर कि जमीन नही जायेगी और पैसा भी मिल जायेगा, सांठ गांठ करके अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने का कथन किया गया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता परिलक्षित होती है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नही पाया जाता है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शिव शंकर विश्वकर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—50/2024, अपराध सं0— 179/2023, धारा—419,420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0, थाना बिहार, जिला उन्नाव निरस्त किया जाता है।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
16.01.2024